राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय,परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462023)
दूरभाष– 91–0755–2600124 फेक्स– 91–0755–2583651, Email: trg.acrmsa@gmail.com

क्रमांक / आरएमएसए / 2018 / 503 भोपाल, दिनांक 24 मई 2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले, म.प्र.

विषयः–प्रशिक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में।

––––00––––

सत्र 2018–19 से कक्षा 10वीं में विज्ञान एवं गणित विषय की NCERT की पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। दिनांक 14.05.18 से 06.07.18 तक NCERT की पाठ्यपुस्तकों की नवीन एवं कठिन अवधारणाओं पर विज्ञान एवं गणित विषय के प्रशिक्षण संभागीय मुख्यालय पर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की देख रेख आयोजित किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में विज्ञान एवं गणित विषय के शतप्रतिशत् शिक्षकों की सहभागिता आवश्यक है। कतिपय प्रथम बैच के प्रशिक्षण की उपस्थिति से यह परिलक्षित हो रहा है कि राज्य स्तर से अनुमति लिये बिना शिक्षक इन प्रशिक्षण शिविर से अनुपस्थित हो रहे हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है तथा इन प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु की गई व्यवस्थाओं पर किये जा रहे धन का अपव्यय है। अतः प्रशिक्षण शिविरों में बिना राज्य स्तर की अनुमति के अनुपस्थित हो रहे शिक्षकों से प्रशिक्षण व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण अवधि (05 दिवस) का वेतन काट कर की जाए।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की जिलेवार सूची विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रत्येक सत्र में अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन काट कर राज्य कार्यालय को सूचित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा..क्र / आरएमएसए / 2018 / 504 भोपाल, दिनांक 24 मई 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.